

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जा रही है कि नौएडा प्राधिकरण की 202वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.06.2021 में लिए गये निर्णय के क्रम में “नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना को तैयार करना और अंतिम रूप देना) विनियमावली - 2010 (यथा संशोधित)” की प्रावधानों के अधीन तथा महायोजना में प्रस्तावित संशोधन करने के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित है ।

प्रस्तावित संशोधन

- मेट्रो स्टेशन पर मिश्रित /वाणिज्यिक उपयोग अनुमत्य किए जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित विवरण नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वेब साइट www.noidaauthorityonline.com पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे । आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर ई-मेल आई0डी0 captpnoida@gmail.com पर दी जा सकती है । आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम, पता एवं दूरभाष सहित पूर्ण विवरण देना होगा ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

